तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रकरण संख्या 56/2020 ऊषा सहरिया बनाम प्रबंधक एन.टी.पी.सी. वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.2026	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धार 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने अपने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क दिया कि प्रकरण में विवाद्यक संख्या 4ए दिनांक 20.12.2024 को इस आशय का कायम किया गया है कि आया प्रार्थिया, ओमप्रकाश की मृत्यु हेतु दायित्वाधीन होने से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है? इसके अतिरिक्त स्व. ओमप्रकाश की डायरी भी पेश की गई है जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी द्वारा जो अत्याचार होता था उसका दिन प्रतिदिन अंकन किया हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थिया से स्व. ओमप्रकाश का विवाह वैध नहीं है, प्रार्थिया एस.सी.एस.टी. की महिला थी इस कारण उसकी स्व. ओमप्रकाश से शादी भी वैध नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में मृतक ओमप्रकाश के सभी सगे भाई बहिन व परिवारजन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। मृतक की समस्त चल सम्पत्तियों का निर्धारण उनके सभी परिवारजन सगे भाई बहिन आदि की सुनवाई के पश्चात होने से वास्तविक सुसंगत व आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय हो सकेगा इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित स्व. ओमप्रकाश के सभी भाई बहिन व परिवारजन को इस कार्यवाही में पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि प्रकरण में सम्मन अखबार में जारी किया जा चुका है। अतः जो भी व्यक्ति प्रकरण से प्रभावित है वही व्यक्ति उपस्थित होकर पक्षकार बन सकता है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बित करने की नीयत से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया। उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थिया की ओर से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु यह प्रार्थना पत्र स्वयं को स्व. ओमप्रकाश शर्मा की एकमात्र विवाहिता पत्नी होना बताते हुए प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर प्रदर्श 5 के रूप में पारिवारिक न्यायालय बारां का निर्णय दिनांक 01.12.2018 प्रदर्शित करवाया गया है जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में स्व. ओमप्रकाश द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया कि प्रार्थिया उषा शर्मा उसकी विवाहिता पत्नी है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाना चाहा गया है वे स्व. ओमप्रकाश के	

25/3/26

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी विविध प्रकरण संख्या 56/2020 ऊषा सहरिया बनाम प्रबंधक एन.टी.पी.सी. वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भाई के वरिसान होने बताए गए हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची के अनुसार मृतक की पत्नी उसकी प्रथम श्रेणी की तथा उसके भाई एवं बहिन के वारिसान मृतक के द्वितीय श्रेणी के वारिसान में आते हैं।

पत्रावली से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रार्थिया द्वारा जन सामान्य को भी पक्षकार बनाया गया है तथा जन सामान्य को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में नोटिस भी प्रकाशित करवाए गए हैं जिसके तहत किसी भी तृतीय पक्षकार द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती थी तथा इसके लिए आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धार 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थी दिनांक 06-04-2026 को पेश हो।